<u>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0
के मेन्युअल का बिन्दु क्रमांक – 1

संस्था का गठन,क्रिया–कलाप एवं दायित्व

म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0,का पंजीयन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 03,अप्रैल 1974 को हुआ, जिसका पंजीयन क्रमांक 1268/1974 है । कारपोरेशन का पंजीकृत कार्यालय मध्यप्रदेश में ब्लॉक–1, तृतीय तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल में स्थित है। कारपोरेशन की प्रशासकीय संरचना निम्नानुसार हैः–

❖ **संचालक मण्डल–**

संचालक मण्डल में अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं । वर्तमान में पदस्थ सदस्य निम्नानुसार हैं.

पदनाम	संख्या
अध्यक्ष	01
उपाध्यक्ष	01
अशासकीय	02
शासकीय	06

❖ कारपोरेशन के क्षेत्रीय कार्यालय 07
❖ कारपोरेशन के जिला कार्यालय 48
❖ कारपोरेशन के प्रदाय केन्द्र 185

उद्देश्यः–

मध्यप्रदेश सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0, का गठनमध्यप्रदेश के सुदूर अंचल में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराना तथा कृषकों से उनकी उपज को समर्थन मूल्य योजना के तहत उचित मूल्य पर क्रय कर उनके हितों को श्रेष्ठतम संरक्षण प्रदान करने हेतु किया गया है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कारपोरेशन द्वारा निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जा रहीं हैं ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली-

म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0,द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं म0प्र0शासन द्वारा संचालित विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं के अंतर्गत

खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम के 39 बेस डिपो से किया जाकर कारपोरेशन के 185 प्रदाय केन्द्रों पर संग्रहित किया जा रहा है! तदुपरान्त भारत से प्राप्त आवंटन के आधार पर संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी जिलेवार आवंटन एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी तहसीलवार/उचित मूल्य दुकानवार आवंटन के आधार पर उक्त योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण लीड/लिंक संस्थाओं को कारपोरेशन द्वारा संचालित 185 प्रदाय केन्द्रों द्वारा किया जाता है।

शक्कर वितरण–

शासन के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवंटन अनुसार निर्धारित दर पर मिलों से शक्कर बुलवाई जाती है । कारपोरेशन प्रदाय केन्द्रों में शक्कर संग्रहित करता है । प्रदाय केन्द्रों से निर्धारित दर पर लीड व लिंक संस्थाओं को शक्कर का वितरण किया जाता है ।

उपार्जन–

भारत सरकार द्वारा कृषकों की उपज का उचित मूल्य देने की दृष्टि से प्रतिवर्ष जिन्सवार समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिसके आधार पर किसानों से खाद्यान्न का क्रय किया जाता है । म0प्र0शासन की ओर से म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0, द्वारा खरीफ सीजन में धान व मोटे अनाजों का उपार्जन भारतीय खाद्य निगम के एजेन्ट के रूप में शासन द्वारा घोषित जिलों में किया जाता है। धान की मिलिंग उपरान्त चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा किया जाता है ।

रबी सीजन में गेहूं का उपार्जन डी0सी0पी0योजना के अंतर्गत किया जाकर कारपोरेशन के प्रदाय केन्द्रों पर संग्रहित किया जाता है तथा उक्त खाद्यान्न का प्रदाय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है ।

अन्य व्यवसाय–

कारपोरेशन के वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार हेतु समय–समय पर प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार कार्य किया जाता है । वर्तमान में कारपोरेशन द्वारा खाद एवं केरोसीन का व्यवसाय प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।